

31/8/200

राजस्थान संरक्षण
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर

क्रमांक: प.५(२) नंवि/2007/

दिनांक: 31/8/2007

आदेश

स्वायत्तं शासन विभाग, राज. जयपुर के आदेश सं. प.४ (८) ()नियम/स्वा.शा./200/20737, दिनांक 18.11.2000 के तहत निर्धारित नीति के अनुरूप तथा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा ९० व राजस्थान नगर विकास न्याय (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम ५ ए में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार प्रदेश के राज्य के समर्त नगर विकास न्यायों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कियाये / ग्राउण्ड रेन्ट पर दिये गये विभिन्न व्यावसायों के लिये भूखण्ड / स्थल / दुकानों को नीचे उल्लेखित शर्तों के अनुसार ९९ वर्ष की लीज पर विक्रय से निष्पादित करने के लिए इन निकायों ने संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित रागड़ीतो समितियों को अधिकृत करती है।

यह आदेश राज्य के समर्त नगर विकास न्यायों तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के ऐसे मामलों में लागू होंगे जिनमें इन निकायों के द्वारा स्थायी रूप से व्यवसाय के लिए जैसे : पेट्रोल पम्प, सिनेगार, हैंडब्रैश, स्थापित करने हेतु एवं अन्य व्यावसायिक प्रयोजन के लिए स्थल / जमीन तथा निर्मित दुकानें आदि विक्राये, ग्राउण्ड रेन्ट पर नीचे हुई है। ऐसे विक्रायेदारों वो ९९ वर्ष की लीज के आधार पर तत्त्वानुचित जागीरों को विक्रय से निष्पादित / नियमित करने के लिये नीचे लिखित पद्धति और प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

निर्धारित शर्तें :-

- देश की स्वतंत्रता के पूर्व किन्तु 25 जनवरी 1950 तक दिये गये ऐसे स्थल / दुकानों आदि वा निष्पादन ९९ वर्ष की एकाग्रुष्ट लीज पर संबंधित निकायों के लिए वर्तमान आरक्षित दर (रांचीधित भू-उपयोग हेतु) की २० प्रतिशत राशि वसूल वा विक्रय जाएगा। किन्तु ९९ वर्ष की अवधि विक्राये / ग्राउण्ड रेन्ट पर नीचे गई प्रारम्भिक तिथि से मानी जाएगी। उदाहरणतः वर्ष 1950 से जमीन / भूखण्ड / दुकान विक्राये या ग्राउण्ड रेन्ट पर देने पर ९९ वर्ष की अवधि की गणना वर्ष 1950 से की जाएगी। यदि मूल विक्रायदार ने इस बीच में अपनी विक्रायेदारी वा अधिकार विना निकाय की सहमति से विक्रय से अथवा अन्यथा हस्तान्तरित वा दिया है तो इस आदेश में निर्धारित प्रतिशत के आधार पर कूल वसूल वीज जाने वाली राशि पर पांच प्रतिशत अधिक राशि और वसूल की जायेगी। यह अतिरिक्त राशि नीचे लिखे रागी अन्य मामलों में भी इसी प्रकार वसूल की जायेगी।

2. 26 जनवरी, 1950 से 31.12.1983 तक दी गई ऐसी गुणि/दुकानों की लीज राशि 30 प्रतिशत रांबंधित पर उपयोग की वर्तमान रिहाई प्राईरा की बसूल की जायेगी।
3. 1.1.1984 से 31.12.1990 के मध्य उपरोक्त अनुसार विजाया/ग्राउण्ड रेन्ट पर दी गई भूमि/स्थल/दुकानों की राशि निकायों की संबंधित उपयोग की वर्तमान आरक्षित दरों की 50 प्रतिशत कीमत बसूल की जायेगी।
4. 99 वर्ष की लीज के आधार पर विक्रय का ऐसा निष्पादन गुण-दोष के आधार पर करने के लिये नगर विकास न्याय, जयपुर विकास प्राधिकरण व जारी अधिसूचना दिनांक 25.7.2001 के अन्तर्गत गठित स्थानीय एवं राज्य स्तरीय समझौता समितियों प्राधिकृत होंगी। इस कीमत का निर्धारण प्रचलित आरक्षित दर के आधार पर किया जावेगा। इस राशि से अधिक के मामले संबंधित समझौता समितियों द्वारा राज्य स्तरीय समितियों को प्रेषित गिरे जावेंगे और संबंधित व्यक्ति भी इस राशि से अधिक के प्रवर्त्तन राज्य स्तरीय समझौता समिति के अध्यक्ष के नाम सम्बोधित करने हुए प्रेषित करेंगे। समझौता समितियों का निर्णय इन निकायों के लिए बाध्यकारी होगा। राज्य सरकार उपरोक्त मामलों के संबंध में विज़री भी निकाय के मामले विशेष या सामान्य रूप से संबंधित निवायों द्वारा अपनाई जा रही कार्यवाही और लिये गये निर्णय को रिव्यू कर सकेंगी। राज्य सरकार इस आदेश में उल्लेखित शर्तों, निर्धारित प्रक्रिया में विज़री भी रागय परिवर्तन/परिवर्द्धन के निर्देश जारी कर सकेंगी।
5. उपरोक्त मामलों में दुकानें अथवा अन्य प्रकार के ढाँचे, प्लॉटफॉर्म्स, शेड आदि यदि संबंधित निकाय द्वारा पूर्व से निर्धारित किये हुये विजाये पर दिये हुए हैं, तो ऐसे मामलों में रांबंधित शहर के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रचलित बी.एस.ओ.र दर की दर की 50 प्रतिशत राशि डेप्रीशियटेड लागत कीमत के रूप में मानते हुए अलग से बसूल की जायेगी।
6. राज्य सरकार अपने राग्य प्रस्तुत उपरोक्त प्रकार के रासी मामलों में 99 वर्ष की लीज पर ऐसे भूखण्ड/स्थल/दुकानों आदि का निष्पादन करने के लिए आदेश प्रदान कर सकेंगी, जिसकी पालना करना संबंधित निकायों के लिए अनिवार्य होगा।
7. नगर विकास न्याय/जयपुर विकास प्राधिकरण के निजांगेवारों के उल्लेखित मामलों के निष्पादन में विवाद की स्थिति में रथानीय समझौता समितियों निर्णय के विरुद्ध (आदेश परिवर्तन होने के) तीस दिवस की अवधि में राज्य स्तरीय समझौता समिति के सम्मुख अपील प्रस्तुत की जा सकेंगी। राज्य स्तरीय समझौता समिति का निर्णय सभी मामलों में दोनों पक्षों के लिए अंतिम रूप से बाध्यकारी होगा और इसकी कोई अपील नहीं की जा सकेंगी।

8. इन सभी मामलों में सभी प्रकार के बकाया किराये/ तत्संबंधित अन्य देनदारियों संबंधित निकायों की पूर्व की प्रचलित दरि के अनुसार वर्तमान कर्जोधारियों से एक मुश्त जग भरवाने गे। परंतु ही लीज डीड का निष्पादन किया जायेगा। ऐसे मामलों में जिस प्रयोजन के लिए वर्तमान व्यापारियों/ शुल्क/ जमीन स्थल के मूल्य के आधार पर निर्धारित ग्राहक रेट/ वार्षिक किराया/ शुल्क/ प्रीमियग या इस प्रकार के अन्य नामों से निर्धारित चार्जेज पर दिये गये थे, उन स्थलों/ भूखण्डों पर निर्माण करके या अन्यथा उपयोग किया गया हो तो उस अवधि की पूरी पुरानी बकाया राशि वसूल की जायेगी। किन्तु यदि न्यायालय के आदेश या संबंधित निकाय के आदेशों के फलस्वरूप संबंधित स्थल वग उपयोग किसी भी प्रकार का निर्माण करके नहीं किया गया हो लेकिन ऐसी जमीन/ स्थल गौतिक रूप से आवंटी/ किरायेदार/ लाइसेन्सी के कब्जे में विना उपयोग के ही हो तो ऐसे मामलों में सम्पत्ति वापस निकाय को लौटा दी जाएगी।
9. उपरोक्त प्रकार के सभी मामलों में यदि किसी प्रकार का वाद न्यायालय में विचाराधीन हो तो पहले ऐसे प्रकारणों वग न्यायालय से प्रतिहारित होने के बाद निर्णय के अनुरूप लीज का निरस्तारण किया जायेगा।
10. इस संबंध में समय-समय पर इस आदेश के पूर्व जारी परिपत्र/ आदेश इस आदेश के प्रभावशील होने के परिणाम रचना प्रभावशून्य माने जायेंगे। किन्तु शर्त यह है कि दिनांक 18.11.2000 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय समझौता समितियों के सामने प्रस्तुत और विचाराधीन आवेदन पत्र इस आङ्ग के अन्तर्गत विधि अनुरूप माने जायेंगे।
11. जितनी भूमि/ स्थल किरायेदार/ लाइसेन्सी के कब्जे में जिस प्रयोजन के लिए दी गई थी। वर्तमान में केवल उतने ही क्षेत्रफल वग 99 वर्ष की लीज के लिए निष्पादन किया जायेगा किन्तु, शर्त यह भी है कि यदि किरायेदार/ लाइसेन्सी के पास निकायों द्वारा स्वीकृत देय क्षेत्रफल से अधिक कब्जा है तो उस अतिरिक्त क्षेत्रफल को इस आदेश के अन्तर्गत निष्पादित नहीं किया जायेगा। उस संबंध में संबंधित निकाय अलग से निर्णय लेंगे।
12. आरंकित दर से अभिप्राय संबंधित निकाय के लिए वर्तमान गे आरक्षित दर से है। यदि व्यावसायिक हो तो आरक्षित व्यवसायिक दर, यदि औद्योगिक, संरथागत या आवासीय हो तो इनकी आरक्षित दरों की उपरोक्तानुसार प्रतिशत राशि देय होगी। जहाँ व्यावसायिक आरक्षित दर निर्धारित नहीं है, वहाँ आवासीय की आरक्षित दर तीन गुण राशि वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर मानी जायेगी और यदि औद्योगिक व संरथागत की आरक्षित दर निर्धारित नहीं हो तो वहाँ की आरक्षित आवासीय दर की 150 प्रतिशत राशि इनकी आरक्षित दर मानते हुए वसूल की जायेंगी।

- प्रकारण में लीज राशि कुल नियमन योग्य राशि का 5 प्रतिशत होती है। इस विभागीय संचिव के द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
13. इस आदेश में यदि कोई स्थिति स्पष्ट करवाना आवश्यक प्रतीत किया जाये तो शासन उप सचिव, नगरीय विकास (प्रथम) रोजानाशी प्राप्त की जा सकेगी।

4. चिकित्सा प्रबंधन विभाष में किराये / ग्राउण्ड रेन्ट की पुरानी बकाया अद्वितीय अस्तमालाओं और ऐरोपेट्रोल पाय सिनेमा, औद्योगिक, रास्तागत मामलों में गुण-दोष के आधार पर संबंधित समझौता समिति छूट / किश्तों आदि के संबंध में निर्णय ले सकेगी।

15. आवटी / किरायेदार / लीज होल्डरों द्वारा 99 साल की लीज के निष्पादन के फलस्वरूप देय राशि यदि एक साथ जमा नहीं करायी जाये तो 50 प्रतिशत राशि निष्पादन के आदेश के 30 दिन वी अवधि में जमा करवाने पर बकाया राशि तिगाही चार किश्तों में 15 प्रतिशत व्याज प्रतिवर्ष के हिसाब से वसूल करने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

(एच.एरा. भारद्वाज)

उप शासन सचिव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के भाग 3(क) असाधारण (आगामी अंक) में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। प्राधिकरण पत्र संलग्न है। 300 प्रतियों इस विभाग को भिजवावें।
 2. विशिष्ठ, सहायक मंत्री, रवायत्त शासन विभाग, जयपुर।
 3. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
 4. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
 5. समरत संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
 6. समरत जिला कलेक्टर, राजस्थान।
 7. निदेशक एवं उपशासन सचिव, रवायत्त शासन विभाग, जयपुर। कृपया समरत नगर निगम/परिषदों/पालिकाओं तथा रवायत्त शासन विभाग के संबंधित अधिकारियों को इस आज्ञा से अवगत करावें।
 8. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान।
 9. समरत, सचिव, नगर, विकास न्यास। (१५६५२)
 9. सुरक्षित पत्रावली

(एच.एरा. भारद्वाज)
उप शासन सचिव